कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ

तृतीय तल, ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

कार्यालय आदेश संख्या-1 / 2025-26

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निर्धारित समय में जारी किये जाने के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा दलों के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं:

- 1) अनुपालन / एस.एस.सी.ए. लेखापरीक्षा के मामलों में लेखापरीक्षित ईकाई की लेखापरीक्षा समापन के पाँच दिनों के भीतर नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सिहत Field visit को QA/QC हेतु OIOS पर सम्पादन अनुभाग को अग्रेषित किया जाएगा ताकि लेखापरीक्षित ईकाई को लेखापरीक्षा समापन के एक माह के भीतर अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित किया जा सके । विलंब से अग्रेषित किये जाने वाले मामलों में विलंब का कारण बताते हुए उप निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 2) SSCA/Compliance लेखापरीक्षा प्रारम्भ किये जाने से पहले मुख्यालय पर Desk Review को वर्गाधिकारियों से अनुमोदित किया जाना सुनिश्चित करें एवं उसकी प्रति LAR के साथ आवश्यक रूप से लगाई जाए |

Office Order No.-1/2025-26

In order to issue Inspection Reports timely, all FAPs are directed to strictly adhere to the following instructions:

- 1. In case of Compliance audit/SSCA the completed field visits along with draft LAR shall be submitted for QA/QC to Edition Section within five days of the completion of audit of the audit entity so that final LAR may be sent to audit entity within one month of the completion of audit of the entity. In case of any delay the approval of Dy. Director stating the genuine reason may be obtained before submitting the field visit and draft LAR to Edition Section.
- 2. Before commencement of SSCA/Compliance Audit the Desk Review report may be duly approved by the group officer and shall be attached as a part of LAR.

23 वि २०२५ उपनिदेशक, अप्रत्यक्ष कर

_

दिनांक: 23.09.2025

संख्या प्र.नि.ले.प (के.)/प्रशासन/व्यपादन/23(TR)